

न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

वाद संख्या-125/2022

धारा 144 द0प्र0सं0

धनेश्वरी कुमारी.....प्रथम पक्ष

बनाम्

चोलो महतो वगै०.....द्वितीय पक्ष

आदेश

दिनांक 29.12.2022 अभिलेख आदेशार्थ प्रस्तुत। यह वाद थाना प्रभारी, सरिया के प्रतिवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया। प्रथम पक्ष के धनेश्वरी कुमारी बनाम द्वितीय पक्ष के चोलो महतो वगै० को प्रश्नगत भूमि पर धारा 144 द0प्र0सं0 की प्रक्रिया प्रारंभ कर उभय पक्षों को प्रश्नगत भूमि पर जाने से रोक लगाई गई साथ ही उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर प्रश्नगत भूमि के दाँवे के समर्थन में कारण पृच्छा की मांग की गई। प्रश्नगत भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :-


मौजा-गडैया, थाना-सरिया, जिला- गिरिडीह अंतर्गत, ख्र्ता नं०-102, प्लॉट नं०-1061, रकवा-25 डी०, चौहद्दी: 30-मंगर महतो, द०-धोकल महतो, पू०-रास्ता, प०-बुधन महतो वगै०।

प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित।


अभिलेख में उपलब्ध कागजातों व थाना प्रभारी व अंचल अधिकारी, सरिया के जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह मामला भूमि के हक-हकियत से संबंधित है। चूँकि वाद की कार्यवाही धारा 144 द0प्र0सं0 के तहत शांति बनाये रखने के लिए प्रारम्भ हुई, जिसकी अवधि मात्र 60 दिनों की होती है।

अतः काल बाधित होने के कारण वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित।


29-12-22

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया।


29-12-22

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया।